

Case

For act of god

यह केस **Nichols v. Marsland (1876)** इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध Tort Law (Law of Negligence / Strict Liability) से जुड़ा हुआ निर्णय है — जो विशेष रूप से Rule in **Rylands v. Fletcher (1868)** के अपवाद (exception) के रूप में पढ़ाया जाता है।

केस का नाम:

Nichols v. Marsland (1876) 2 Ex. D. 1 (Court of Exchequer Division, England)

तथ्य (Facts):

- प्रतिवादी (Defendant) **Marsland** ने अपनी निजी भूमि पर कई कृत्रिम तालाब (artificial ponds) बनाए थे, जिनमें पास की एक प्राकृतिक धारा (stream) का पानी एकत्र किया गया था।
 - एक वर्ष **असाधारण वर्षा** (extraordinary rainfall) हुई — इतनी तीव्र कि उन तालाबों के बाँध (embankments) टूट गए।
 - इन तालाबों का पानी नीचे की ओर बहकर **वादी** (Plaintiff) **Nichols** की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया (bridges और सड़कों को तोड़ दिया)।
 - Nichols** ने मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी को **Rylands v. Fletcher (strict liability)** के नियम के तहत जिम्मेदार ठहराया जाए क्योंकि उसने अपनी भूमि पर खतरनाक चीज (पानी) एकत्र की थी।
-

मुद्दा (Issue):

क्या प्रतिवादी (Marsland) **strictly liable** होगा जब नुकसान **प्राकृतिक कारण** (act of God) से हुआ हो — अर्थात् अत्यधिक वर्षा जिसके कारण बाँध टूटे?

निर्णय (Judgment):

- Court (Exchequer Division)** ने कहा कि यह “Act of God” का मामला है।
 - इस प्रकार की असामान्य, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा (extraordinary rainfall) के कारण हुई हानि के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
 - इसलिए **Marsland** को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।
-

सिद्धांत (Legal Principle):

Rule: यदि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर रखी गई वस्तु (जैसे पानी, गैस, बिजली, आदि) के कारण हानि होती है, तो वह **strictly liable** है —

लेकिन अगर हानि “Act of God” या किसी अन्य प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई है, तो यह *Rylands v. Fletcher* के नियम से अपवाद(exception) के रूप में माना जाएगा।

 **महत्व (Significance):**

- यह केस *Rylands v. Fletcher* के चार मुख्य अपवादों में से एक को स्थापित करता है — “Act of God” (दैवीय आपदा)।
 - इसने स्पष्ट किया कि जब नुकसान किसी अत्यधिक और अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना से होता है, तो मानव को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
 - बाद के कई मामलों (जैसे *Greenock Corp v. Caledonian Ry Co* 1917) में इस सिद्धांत की पुष्टि और सीमाएँ तय की गईं।
-

 **हिंदी सारांश:**

Nichols v. Marsland (1876) में अदालत ने कहा —

यदि नुकसान असाधारण प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, भूकंप या असाधारण वर्षा से होता है, तो उसे “Act of God” कहा जाएगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाएगा, भले ही नुकसान उसकी भूमि से फैले जल या अन्य चीज़ से हुआ हो।

Brown v. Kendall (1850) — quick facts case for negligence.

- **Court / Year:** Supreme Judicial Court of Massachusetts, 1850.
 - **Facts:** The defendant (Kendall) tried to separate his dog and the plaintiff's dog while they were fighting. In the effort he raised a stick and accidentally struck the plaintiff in the eye, causing injury. The plaintiff sued for battery/trespass.
 - **Issue:** Was the defendant automatically liable for the accidental injury, or must the plaintiff prove that the defendant failed to exercise due care (i.e., was negligent)?
-

Holding / Principle

- The court held that the defendant was **not automatically liable** for the accident.
 - **Rule:** A person who acts in a lawful attempt to prevent harm (here, to separate fighting dogs) is not liable for injury if he acted **without fault** — i.e., if he exercised the care that a reasonably prudent person would have exercised in the same situation.
 - This case **shifted the emphasis to fault/negligence:** the plaintiff must show that the defendant failed to exercise ordinary care. It is an early articulation of the “reasonable person” standard.
-

Why it matters

- **Negligence (fault) — not strict liability.** Brown v. Kendall is often taught as the moment Anglo-American law moved away from automatic liability for accidents toward a fault-based system requiring proof of lack of reasonable care.
- It's a textbook example when discussing **intervening good-faith acts** (rescuing/separating animals) and how courts evaluate care and liability.

यह प्रसिद्ध अमेरिकी केस है — **Brown v. Kendall (1850, 60 Mass. 292)** — जिसे “*Dog Fight Case*” कहा जाता है। यह मामला **Law of Torts (Negligence / Battery)** का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने आधुनिक *negligence law* की नींव रखी।

केस का नाम

Brown v. Kendall (1850)

न्यायालय: Supreme Judicial Court of Massachusetts (U.S.A.)

तथ्य (Facts):

- वादी (Plaintiff) और प्रतिवादी (Defendant) दोनों अपने-अपने कुत्तों को लेकर मौजूद थे।
 - अचानक दोनों कुत्ते **लड़ने लगे (dog fight)**।
 - प्रतिवादी Kendall ने लड़ाई रोकने के लिए एक लाठी उठाई और दोनों कुत्तों को अलग करने की कोशिश की।
 - ऐसा करते समय, गलती से उसकी लाठी वादी की आँख पर लग गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई।
 - वादी ने प्रतिवादी पर **battery** (जानबूझकर चोट पहुँचाने) का मुकदमा दायर किया।
-

मुद्दा (Issue):

क्या प्रतिवादी केवल चोट लग जाने मात्र से **दोषी (liable)** ठहराया जाएगा, या यह देखना होगा कि उसने **सावधानी (due care)** बरती थी या नहीं?

निर्णय (Judgment):

- न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी का कार्य **कानूनी** और **सद्व्यवहार से प्रेरित (lawful and in good faith)** था।
 - यदि कोई व्यक्ति किसी नुकसान को रोकने के लिए कार्य करता है और **सामान्य सावधानी (ordinary care)** रखता है, तो वह **दोषी नहीं माना** जाएगा।
 - इस मामले में प्रतिवादी ने जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाई, बल्कि दुर्घटनावश यह हुआ, इसलिए वह **liable नहीं** था।
-

सिद्धांत (Legal Principle):

“किसी व्यक्ति को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसने ऐसी स्थिति में सामान्य सावधानी नहीं बरती हो जो एक समझदार व्यक्ति बरतता।”

(Liability arises only when there is **absence of reasonable care** — negligence must be proved.)

महत्व (Significance):

- यह केस **negligence law** की बुनियाद रखता है।
- इससे पहले *trespass* या *battery* में केवल चोट का होना ही जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी माना जाता था।
- इस निर्णय ने यह सिद्धांत दिया कि —
“हर दुर्घटना में दोष नहीं होता; जब तक लापरवाही सिद्ध न हो, व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है।”

सारांश (In short):

Brown v. Kendall (1850):

यदि कोई व्यक्ति किसी हानि को रोकने के लिए वैध कार्य करता है और सावधानी बरतता है, तो आकस्मिक चोट के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा।

3

“**Volenti non fit injuria**” (या *Volente non fit injuria*) — यह **Law of Torts** का एक अत्यंत महत्वपूर्ण **General Defence** है।

आइए इसे पूरी तरह समझें —

अर्थ (Meaning):

“*Volenti non fit injuria*” एक लैटिन वाक्यांश है,

जिसका अर्थ है —

“जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार किया हो, उसे हुई चोट के लिए कानून कोई उपचार नहीं देता।”

महत्वपूर्ण केस (Leading Case Law):

1. **Hall v. Brooklands Auto Racing Club (1933)**

- वादी (plaintiff) एक रेस देखने गया। रेस के दौरान दो कारें टकराईं और एक कार दर्शकों पर गिर गई।
- वादी घायल हुआ, परंतु अदालत ने कहा —
उसने स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार किया था, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा।

2. **Wooldridge v. Sumner (1963)**

- एक घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान फोटोग्राफर को घोड़े ने टक्कर मारी।
 - न्यायालय ने कहा — उसने स्वेच्छा से जोखिम उठाया था, इसलिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं।
-

❖ अपवाद (Exceptions):

- यदि सहमति बिना ज्ञान या दबाव में ली गई हो — तो यह रक्षा (defence) लागू नहीं होगी।
 - यदि प्रतिवादी ने लापरवाही (negligence) या दुर्भावना (malice) दिखाई — तो “Volenti non fit injuria” लागू नहीं होगा।
-

“Volenti non fit injuria” का अर्थ है —

जो व्यक्ति स्वेच्छा से खतरा मोल लेता है, वह उसके परिणामों के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकता।

“Contributory Negligence” (सह-लापरवाही) **Law of Torts** का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है — जिसमें वादी (plaintiff) स्वयं भी अपने नुकसान के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होता है।

आइए इसका अर्थ, सिद्धांत और महत्वपूर्ण केस (Leading Case Law) समझते हैं 

⚖️ अर्थ (Meaning):

Contributory Negligence का अर्थ है —

जब वादी (plaintiff) ने स्वयं भी ऐसी लापरवाही की हो, जिसने उसकी अपनी चोट या हानि में योगदान दिया हो, तो उसे पूर्ण क्षतिपूर्ति (full compensation) नहीं दी जाएगी।

अर्थात् —

अगर दुर्घटना में दोनों पक्षों की गलती है, तो नुकसान की जिम्मेदारी भी दोनों में बाँटी जाती है (shared liability)।

█ मुख्य तत्व (Essentials):

- वादी (Plaintiff) ने सावधानी नहीं बरती।
 - उसकी यह लापरवाही नुकसान का कारण बनी।
 - प्रतिवादी (Defendant) की भी लापरवाही मौजूद थी।
-

⚖️ प्रमुख केस (Leading Cases):

💡 1. **Butterfield v. Forrester (1809)**

तथ्य (Facts):

- प्रतिवादी (Forrester) ने सड़क पर मरम्मत के लिए एक डंडा (pole) लगाकर रास्ता आंशिक रूप से रोक दिया।

- वादी (Butterfield) शाम को तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर आ रहा था और उसने वह डंडा नहीं देखा।
- वह टकरा गया और घायल हुआ।

निर्णय (Judgment):

- अदालत ने कहा — यदि वादी ने सामान्य सावधानी बरती होती, तो वह बच सकता था।
- इसलिए दोनों की गलती थी।
- वादी को मुआवज़ा नहीं दिया गया।

सिद्धांत (Principle):

“जो व्यक्ति स्वयं सावधानी नहीं बरतता, वह दूसरों की लापरवाही के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता।”

2. **Davies v. Mann (1842) — “Last Opportunity Rule”**

तथ्य:

- वादी ने अपनी गधी (donkey) को सड़क पर बाँधकर छोड़ दिया।
- प्रतिवादी ने तेज़ी से गाड़ी चलाई और गधी को कुचल दिया।

निर्णय:

- यद्यपि वादी की भी गलती थी, परन्तु प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर (last opportunity) था कि वह सावधानी बरतकर दुर्घटना रोक सकता था।
- इसलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया।

सिद्धांत:

यदि प्रतिवादी के पास अंतिम अवसरथा नुकसान टालने का, तो केवल वादी की सह-लापरवाही उसे मुक्त नहीं कर सकती।

■ भारतीय संदर्भ (Indian Context):

भारतीय न्यायालयों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया है।

जैसे कि —

Municipal Corporation of Greater Bombay v. Laxman Iyer (2003)

— सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना में दोनों पक्षों की गलती होने पर दोष का विभाजन (apportionment of liability) किया जाएगा।

❖ सारांश (In short):

Contributory Negligence: जब वादी भी अपने नुकसान के लिए अंशिक रूप से जिम्मेदार हो, तो उसका मुआवज़ा घटा दिया जाता है या कभी-कभी समाप्त कर दिया जाता है।

 मुख्य केस याद रखें:

Sr.	Case Name	Principle
1	Butterfield v. Forrester (1809)	वादी की खुद की लापरवाही से हानि हुई तो मुआवजा नहीं।
2	Davies v. Mann (1842)	अंतिम अवसर का नियम (Last Opportunity Rule)।
3	Municipal Corp. of Bombay v. Laxman Iyer (2003)	भारत में सह-लापरवाही पर मुआवजे का विभाजन।

 Defences to Negligence (लापरवाही के बचाव के उपाय)

 1. Contributory Negligence (सह-लापरवाही)

अर्थः

जब वादी (Plaintiff) ने स्वयं भी ऐसी लापरवाही की हो, जिससे उसे नुकसान हुआ हो। अर्थात्, अगर दोनों (वादी और प्रतिवादी) की गलती से नुकसान हुआ — तो प्रतिवादी पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

मुख्य केसः

- **Butterfield v. Forrester (1809)** – Plaintiff himself was careless.
- **Davies v. Mann (1842)** – Last opportunity rule.

सिद्धांतः

Plaintiff who fails to take reasonable care for his own safety cannot recover full damages.

 2. Volenti non fit injuria (स्वेच्छ्या कृत हानि)

अर्थः

“To a willing person, no injury is done.”

यदि वादी ने स्वेच्छा से किसी खतरे को स्वीकार किया, तो बाद में वह प्रतिवादी पर दोष नहीं लगा सकता।

उदाहरणः

- खिलाड़ी जो मैच में भाग लेता है, वह खेल से जुड़े सामान्य जोखिम को स्वीकार करता है।
- दर्शक जो रेस या सर्कस देखने जाता है, वह भी संभावित जोखिम जानता है।

मुख्य केसः

- **Hall v. Brooklands Auto Racing Club (1933):**

Spectator injured during race; no compensation because he willingly took the risk.

सिद्धांतः

यदि वादी ने स्वेच्छा से जोखिम लिया है, तो वह बाद में हानि का दावा नहीं कर सकता।

3. Inevitable Accident (अनिवार्य दुर्घटना)

अर्थः

जब कोई दुर्घटना सावधानी बरतने पर भी रोकी नहीं जा सकती, और किसी की गलती नहीं होती, तो वह **Inevitable Accident** कहलाती है।

मुख्य केसः

- **Stanley v. Powell (1891):**

During shooting, bullet ricocheted and hit another — accident inevitable — no negligence.

सिद्धांतः

No one is liable for a pure accident that could not have been prevented by reasonable care.

4. Act of God (प्राकृतिक आपदा / दैवीय घटना)

अर्थः

ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ जो किसी के नियंत्रण में नहीं होतीं, जैसे — भूकंप, बाढ़, तूफान आदि, और जिनसे नुकसान हो जाए।

मुख्य केसः

- **Nichols v. Marsland (1876):**

Heavy rain caused artificial lakes to burst — not liable; it was an Act of God.

सिद्धांतः

No one is liable for damages arising purely from natural, uncontrollable forces.

5. Necessity (आवश्यकता / आपात स्थिति)

अर्थः

जब कोई व्यक्ति समाज या स्वयं की रक्षा के लिए किसी और की संपत्ति या अधिकार को नुकसान पहुँचाता है।

उदाहरणः

- आग रोकने के लिए पड़ोसी का घर गिरा दिया गया।
- भीड़ बचाने के लिए वाहन तोड़ा गया।

सिद्धांतः

Act done under necessity for greater good is not negligence.

6. Statutory Authority (वैधानिक अधिकार)**अर्थः**

जब कोई कार्य कानून द्वारा अधिकृत (authorized by statute) है, तो उससे हुए नुकसान के लिए उत्तरदायित नहीं बनता।

मुख्य केसः

- **Vaughan v. Taff Vale Railway Co. (1860):**

Railway sparks caused fire — not liable because company acted under statutory authority.

सिद्धांतः

Acts done under statutory authority are lawful even if they cause incidental harm.

Summary Table:

Defence	Meaning	Leading Case	Principle
1. Contributory Negligence	Plaintiff's own carelessness	<i>Butterfield v. Forrester</i>	Shared fault reduces liability
2. Volenti non fit injuria	Willing acceptance of risk	<i>Hall v. Brooklands</i>	No compensation if consented
3. Inevitable Accident	Accident unavoidable	<i>Stanley v. Powell</i>	No negligence if unavoidable
4. Act of God	Natural forces	<i>Nichols v. Marsland</i>	No liability for natural events
5. Necessity	Action to prevent greater harm	—	Justified in emergency
6. Statutory Authority	Law permits the act	<i>Vaughan v. Taff Vale</i>	No liability under lawful authority

Madhav Vithal Kurwa v. Madhavdas Vallabhdas (Bombay High Court, 1978) (AIR 1979 Bom 49) —
with facts, issues, decision and significance, in Hindi (as you requested).

Case for trass pass

तथ्य (Facts)

- एक भवन “Murarji Goculdas Deoji Trust Building” कनेडी ब्रिज, बॉम्बे में स्थित थी। [Indian Kanoon+2CaseMine+2](#)
 - वादी (ट्रस्टीज़) भवन के मालिक थे; प्रतिवादी किरायेदार थे, कमरे 18, प्रथम मंजिल पर। [CourtKutchehry+1](#)
 - प्रतिवादी ने अपनी कार (BYH 1160) 1968 के आसपास उस भवन के **कम्पाउंड** में पार्क करना शुरू किया, बिना वादी की अनुमति के। [Indian Kanoon+1](#)
 - वादी ने आठ अक्टूबर 1968 को पत्र लिखकर उसे कार हटाने तथा आगे से पार्क न करने के लिए कहा। [CourtKutchehry](#)
 - वादी का कहना था कि पार्किंग “कम्पाउंड” में बिना अनुमति करने से उनका अधिकार (property right) आहत हुआ; उन्होंने इसे “त्रेसपास / घुसपैठ” कहा। [NearLaw](#)
-

मुद्दे (Issues)

- क्या किरायेदार को उस भवन के **कम्पाउंड** में अपनी कार पार्क करने का अधिकार था — चाहे वादी की अनुमति न हो?
 - क्या वह पार्किंग “अप्रियोजन (appurtenance)” है, जो उस किराए की सम्पत्ति (flat) से जुड़ी हो, और इसका अधिकार किरायेदार को मौसमानुसार मिल जाता हो?
 - क्या वादी को स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) देने योग्य “irreparable injury / loss” हुआ था?
-

निर्णय (Holding)

- बंबई हाई कोर्ट ने पहली अपील में **किरायेदार के पक्ष में निर्णय दिया**: पार्किंग को किराए के परिसर की “अप्पुर्टनेंस” माना गया, तथा किरायेदार को उस सुविधा का प्रयोग करने का अधिकार माना गया — यदि पार्किंग से किसी को असुविधा न हो। [CaseMine+2Indian Kanoon+2](#)
 - अदालत ने कहा कि Bombay Rents, Hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947 (‘Bombay Rent Act’) की धारा 5(8)(b) एवं धारा 24(1) इसके अंतर्गत आते हैं, जिससे “प्रिमाइसेस” की परिभाषा में आवासीय भवन का हिस्सा और उससे जुड़ी जगहें (यद्यपि “कम्पाउंड”) भी आ सकती हैं। [Indian Kanoon+1](#)
 - वादी ने यह स्वीकार किया कि उन्हें **कोई आर्थिक हानि** नहीं हुई थी; केवल पार्किंग को लेकर विवाद था। [NearLaw](#)
 - अदालत ने यह माना कि पार्किंग “कम्पाउंड” में यदि बिना बाधा के हुई हो, और किरायेदार पुराने समय से रह रहा हो, तो उसे निषेधाज्ञा का आधार नहीं बनाती। [CaseMine](#)
 - परिणामतः वादी की suit (मुकदमा) अस्वीकार कर दी गई। [CourtKutchehry](#)
-

महत्व (Significance)

- यह केस **किरायेदार-मालिक संबंधों** में “सहायक सुविधा / appurtenance” के सवाल को स्पष्ट करता है — कि किस तरह किराए की सम्पत्ति में “समान उपयोग की अनुमति क्षेत्र” (compound, parking) शामिल हो सकती है।
 - यह सिद्ध करता है कि जहाँ किरायेदार ऐसी सुविधा वर्षों से उपयोग कर रहा हो, और इससे किसी को असुविधा न हो, तो मालिक को निष्कर्ष देने से पहले किरायेदार के अधिकार का मूल्यांकन करना होगा।
 - साथ ही यह बताता है कि सिर्फ “अपमानित अधिकार” की बात होकर निषेधाज्ञा नहीं मिल सकती — आर्थिक अथवा अन्य अपूरणीय (irreparable) नुकसान का होना भी आवश्यक है।
 - हालांकि ध्यान देना होगा कि इस निर्णय को बाद में Moraji Goculdas Deoiji Trust v. Madhav Vithal Kudwa (1982) द्वारा **परिमारित** किया गया है (कि हर पार्किंग सुविधा को स्वतः अधिकार नहीं माना जाना चाहिए) — इसलिए यह हर परिस्थिति में सीधे लागू नहीं होगा। [CaseMine+1](#)
-

Campbell v. Paddington Corporation (1911) 1 KB 869, and it's a **landmark English case in the Law of Torts**, particularly dealing with **public nuisance** and **private injury arising from it**.

Here's the full explanation 

Case Name:

Campbell v. Paddington Corporation (1911) 1 KB 869

Facts:

- The plaintiff, **Mrs. Campbell**, lived in a house facing a public street in London.
 - The **Paddington Corporation** (local authority) built a **stand on the street** so that people could watch the coronation procession of King Edward VII.
 - The stand was **public property**, and many people used it.
 - Because of this stand, **Mrs. Campbell's view** from her windows — which she intended to rent out for a fee to spectators — was **completely blocked**.
 - She claimed that this act amounted to a **nuisance** and caused her **special damage**, though the act itself affected the public road.
-

Issue:

Whether Mrs. Campbell could claim **damages for public nuisance**, when the act (construction of stand) affected the public at large but caused **special loss** to her individually.

Judgment (Held):

- The court held **in favour of Mrs. Campbell**.
- The construction of the stand was a **public nuisance**, as it obstructed the public highway.

- However, Mrs. Campbell suffered a “**particular and direct loss**” (loss of view and profit) beyond what the general public suffered.
 - Therefore, she was **entitled to sue** and recover **damages**.
-

Legal Principle (**Ratio Decidendi**):

A person can bring an action for **public nuisance** if they can prove **special damage** — i.e., damage beyond what is suffered by the general public.

Importance:

- Establishes that **public nuisance** generally cannot be sued upon by an individual **unless** special damage is proved.
 - It's often taught alongside **Benjamin v. Storr (1874)** and **Rose v. Miles (1815)** in law of torts.
-

IN In Hindi (Summary):

मामला: *Campbell v. Paddington Corporation (1911)*

- नगर निगम ने सड़क पर एक मंच बनाया जिससे आम जनता को राजा के जुलूस का दृश्य दिख सके।
- इससे Campbell नामक महिला के घर की खिड़की से दृश्य बंद हो गया और उसका आर्थिक नुकसान हुआ।
निर्णय: अदालत ने कहा कि यह “public nuisance” था, और चूंकि Campbell को विशेष हानि हुई थी (special damage), वह मुकदमा दायर कर सकती है।

सिद्धांत:

यदि कोई सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) किसी व्यक्ति को विशिष्ट या विशेष हानि पहुँचाता है, तो वह व्यक्ति मुआवज़ा प्राप्त कर सकता है।

Leading Cases: for Vicarious Liability – Law of Torts master servant relation.

1. **State of Rajasthan v. Vidyawati (1962):**
Government was held liable when its driver negligently caused death while driving a government jeep.
 2. **Limpus v. London General Omnibus Co. (1862):**
Bus driver, despite company's order not to race, negligently caused accident while racing another bus.
→ Company held liable because the act was done *during employment*.
 3. **Century Insurance Co. Ltd. v. Northern Ireland Transport Board (1942):**
Driver caused explosion while smoking during fuel delivery.
-

case **Dr. Ram Raj Singh v. Babulal (1982)**, which is an important judgment under **Law of Torts – Private Nuisance** 

 **Case Name:** for public nuisance.

Dr. Ram Raj Singh v. Babulal, AIR 1982 All 285 (Allahabad High Court)

◆ **Facts:**

- The defendant (**Babulal**) ran a **brick-grinding machine** close to the house and clinic of the plaintiff, **Dr. Ram Raj Singh**, who was a medical practitioner.
 - The machine generated **continuous dust and vibration**, spreading inside the plaintiff's home and clinic.
 - This caused **discomfort, health hazards, and loss of patients**, as people avoided visiting the clinic due to the dusty atmosphere.
 - Dr. Singh filed a suit claiming that the activity amounted to **private nuisance**.
-

◆ **Issue:**

Whether the operation of the brick-grinding machine, causing dust and vibration, amounted to **private nuisance** interfering with the plaintiff's **use and enjoyment of his property**.

◆ **Judgment (Held):**

- The Allahabad High Court held **in favour of Dr. Ram Raj Singh**.
 - The defendant's activity caused **substantial and unreasonable interference** with the plaintiff's property and comfort.
 - It was therefore a **private nuisance**, and the plaintiff was entitled to **injunction** restraining the defendant from operating the machine at that location.
-

◆ **Principle (Ratio Decidendi):**

If a person's lawful activity on his own land causes **material discomfort, health risk, or inconvenience** to another by **dust, smoke, smell, or vibration**, it amounts to **private nuisance**, even if the act is otherwise lawful.

◆ **In Hindi:**

मामला: डॉ. राम राज सिंह विरुद्ध बाबूलाल (1982 अलाहाबाद हाईकोर्ट)

तथ्य:

प्रतिवादी ने अपने घर के पास ईंट पीसने की मशीन लगाई जिससे लगातार धूल और कंपन उठता था और वादी (डॉ. राम राज सिंह) के घर व क्लिनिक में धूल फैल जाती थी। इससे मरीज़ आना बंद कर दिए।

निर्णय:

अदालत ने कहा कि यह कार्य **निजी उपद्रव (Private Nuisance)** है क्योंकि इससे वादी की संपत्ति के उपयोग और आराम में अनुचित बाधा उत्पन्न हुई।

अदालत ने मशीन के संचालन पर **निषेधाज्ञा (injunction)** जारी की।

सिद्धांत:

यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि दूसरों को असुविधा या हानि पहुँचाती है, तो यह निजी उपद्रव है और उसे रोका जा सकता है।

◆ **Significance:**

- Landmark Indian case on **environmental nuisance and neighbour rights**.
- Reinforces that **lawful business** must not cause **unreasonable inconvenience** to neighbours.
- Often cited in LLB exams under **Private Nuisance** and **Environmental Law** topics.

Important case for contributory negligence.

◆ **5. Important Case Laws**

 **(a) Butterfield v. Forrester (1809)**

- Defendant obstructed the road with a pole.
- Plaintiff, riding fast and carelessly, hit the pole and was injured.
- **Held:** Plaintiff could have avoided the accident with reasonable care → No damages.
→ *Doctrine of contributory negligence applied.*

 **(b) Davies v. Mann (1842)**

- Plaintiff left his donkey tied on a narrow road.
- Defendant, driving fast, ran over it.
- **Held:** Although plaintiff was negligent, defendant had the **last opportunity** to avoid the accident.
→ *Introduced the "Last Opportunity Rule."*

 **(c) Municipal Corporation of Greater Bombay v. Laxman Iyer (2003)**

- A boy fell into an uncovered drain.

- The court held that even if the boy was careless, the **Corporation was mainly responsible** for not covering the drain.
→ *Damages apportioned* — partial contributory negligence.
-

 (d) ***Rural Transport Service v. Bezlum Bibi (1980)***

- Passengers were travelling on the roof of a bus.
 - Due to negligence of both driver and passengers, accident occurred.
 - Court applied contributory negligence — both at fault.
-
- =====